न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत,
पीठासीन अधिकारी गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध 365 / 2018

प्रार्थीगण :–

1 गुणेशराम पुत्र शेषाराम
2 भंवरलाल पुत्र गुणेशराम
3 नेमाराम पुत्र हरजी
4 नारायणलाल पुत्र हरजी
5 बाबुलाल पुत्र डायाराम
6 फैफी देवी पत्नी डायाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. चिमनाराम पुत्र सेसाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा बंदिया बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
3. जमनाई पत्नी गुमनाराम
4. वचनाराम पुत्र गुमनाराम
5. जेताराम पुत्र गुमनाराम
6. बोराराम पुत्र गुमनाराम
7. सोनाराम पुत्र गुमनाराम जातिगण पटेल कुम्हार निवासीगण बेरा कुम्हारो का बंदिया बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
8. जमनादेवी पत्नी खरताराम
9. कमला देवी पुत्री खरताराम
10. मिनाक्षी पुत्री मुन्नी पुत्री खरताराम नाबालिक जरिये वली नानी जमनादेवी पत्नी खरताराम
11. भंवरलाल पुत्र खरताराम
12. कालुराम पुत्र खरताराम
13. भोमाराम पुत्र खरताराम
14. कुकली देवी पत्नी पोलाराम
15. अमली देवी पत्नी थानाराम जातिगण पटेल कुम्हार निवासीगण बेरा कुम्हारो का बंदिया बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली
16. राजस्थान।
    तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. श्री बी.आर. चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 09.05.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा बगड़ी नगर पटवार हल्का बगड़ी चक 1 भू.अ.नि. बगड़ी नगर तहसील सोजत के ख0नं0 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2395, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 कुल खसरा 23 कुल रकबा 17.9700 हैक्टर किस्म गै.मु बेरा, गै.मु. सड़ा, चा.प्र,जा.अ., बंजड़, गै.मु. रास्ता, गै.मु. बाड़ा की कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी सं0 1 व 2 का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी सं0 3 व 4 का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी सं0 5 व 6 का 1/8 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 3 से 7 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 8 से 13 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

सं0 14 का 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 15 का 1/18 हक हिस्सा आता है किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में सहवन से अप्रार्थी सं0 2 ओमप्रकाश का 1/8 वा हिस्सा दर्ज हो गया है जबकि अप्रार्थी सं0 2 ओमप्रकाश का 1/16 हिस्सा की खातेदारी हक हकूक का पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार आता है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 में अप्रार्थी संख्या 2 ओमप्रकाश का सहवन से 1/8 हिस्सा दर्ज है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ओमप्रकाश का 1/16 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आने पर ही राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से सम्पूर्ण खसरों से मेल खाता है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस सभी खातेदारान के मध्य में किया हुआ नहीं होने से प्रतिवर्ष उक्त कृषि भूमि में खातेदारान के मध्य धोरा पाली एवं माठो को लेकर वाद विवाद होता रहता है अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है तथा अपने मर्जी अनुसार उक्त कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने हक से अधिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि को किसी अन्य भू माफियो को बेचान, हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करनें पर आमदा है तथा प्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल कर उनके हिस्से की कृषि भूमि को भी बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलांदाजी करते रहते है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण का हिस्सा को मानने से भी इंकार कर दिया एवं प्रार्थीगण को बेदखल कर उक्त कृषि भूमि को बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमदा है। प्रार्थीगण ने दिनांक 12/06/2018 को वादस्थ कृषि भूमि में अधिक हुए हिस्से का संशोधन करवा कर बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु अप्रार्थीगण को तहसील कार्यालय चल कर करवाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि के हिस्से का संशोधन करवा कर बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने हक से अधिक हिस्से की भूमि पर छीणे खड़ी कर तारबंदी करने हेतु उतारू हुए, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा मना करने एवं नाप चौक एवं बंटवाड़ा कर तारबंदी करवाने हेतु कहा किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण को धमकियां दी कि "वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल कर भू माफियो को बेचान, हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगे तथा वादस्थ कृषि भूमि में इस वर्ष काश्त भी नहीं करने देंगे जिसका अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कोई हक एवं अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 वादस्थ कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमदा है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलांदाजी करते रहते है अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है तथा प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा एवं टंटा फंसाद करते रहते है इसलिये अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिय पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की कृषि भूमि का अन्य भू माफियो को बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि कर देते है तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णिय क्षति कारित होगी, जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयो में नहीं आंका जा सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने वादस्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा रोपी गई छीणे को हटवाया जाने तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से में कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा एवं अवरोध पैदा न तो स्वयं करे और न ही किसी नौकर, एजेन्ट इत्यादि से कराने तथा वादस्थ कृषि भूमि का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को रोका जाकर जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर राजस्व मूल वाद पेश किया है, जिसमें प्रार्थी को कतई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि इस पद में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बगड़ी नगर पटवार हल्का बगड़ीनगर तहसील सोजत में आई हुई अवश्य है। उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से दर्जसुदा अवश्य है। लेकिन सभी खातेदार मौके पर अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। वाद पत्र के पद संख्या 3 का जवाब इस प्रकार है कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरान 2391 से 2393, 2395, 2397 से 2405, 2410 से 2413 एवं खसरा नंबरान 2386, 2390, 2406, 2407, 2408, 2409 कुल खसरा 23 कुल रकबा 17.6700 हैक्टर कृषि भूमि में वेनाराम, अमराराम पीसरान रामलाल व रामलाल पुत्र भैराराम का 1/2 हिस्सा एवं बेरा बंदिया की कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्तसुदा था। उक्त खातेदारान ने रामलाल व वेनाराम, अमराराम पुत्रान रामलाल नाबालिग की ओर से रामलाल ने बेरा बंदिया का 122 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि कुल बेरा का 1/4 हिस्सा तथा बेरा बंदिया की आराजी में 1/4 हिस्सा का 1/2 हिस्सा अर्थात् 1/8 हिस्सा की कृषि भूमि को दिनांक 5.12.1979 को जरिए बेचान रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। तब से उक्त कृषि भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 व 4 का 1/8 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 5 व 6 का 1/8 हिस्सा हो तो प्रार्थीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि है तथा माफिक हिस्सा अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 का 1/16 हिस्सा होना लिखा, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 का कितना हिस्सा है, नहीं बताया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से कृषि भूमि खरीद की गई है तथा दोनो का बराबर बराबर हक व हिस्सा है। वाद पत्र के पद संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का यह लिखना कतई गलत है कि वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ नहीं हो, जबकि सभी खातेदार अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कभी भी प्रार्थीगण के साथ वाद विवाद किया, न ही प्रार्थीगण से बेचान, हस्तान्तरण करने के संबंध में कोई बातचीत हुई। प्रार्थीगण की सारी बाते कपोल कल्पित एवं सरासर सफेद झूठ है। अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

संख्या 1 व 2 द्वारा दखलांदाजी करने की बात सरासर गलत व झूठ हैं। जब प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच किसी प्रकार की बात हुई ही नहीं तो हिस्सा मानने या नहीं मानने की बात कहना सरासर गलत है। दिनांक 12.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम बगड़ी में था ही नहीं तो अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दखलांदाजी करने की बात सरासर गलत है कि प्रार्थीगण का यह लिखना सर्वथा गलत है कि अप्रार्थीगण ने हिस्से से अधिक भूमि पर तारबंदी कर रहे हो। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। इसलिए बेचान, हस्तानान्तरण करने के कहने के कथन गलत एवं झूठ है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का यह लिखना सर्वथा गलत एवं झूठ हैं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादस्थ कृषि भूमि को बेचान, हस्तानान्तरण करने पर आमदा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। प्रार्थीगण कतई स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का वाद काबिले खारिज के है। प्रार्थीगण कतई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण गलत तथ्यों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 6 का जवाब इस प्रकार है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में कतई नहीं है तथा प्रार्थीगण ने यह नहीं बताया कि प्रार्थीगण के पक्ष में किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अप्रार्थीगण द्वारा वादस्थ कृषि भूमि को बेचान, हस्तानन्तरण करने की धमकिया देने की प्रार्थीगण के कथन सरासर, गलत व झूठ हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर अलग अलग काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण को कतई नहीं हो रही है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को होगी एवं प्रार्थीगण उक्त निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को मात्र हैरान परेशान कर झूठे फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाएगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है। अप्रार्थी संख्या 3 से 15 को बावजूद सूचना बार बार आवाजे दिलाई जाने पर भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 29.05.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि पैरा संख्या 1 में प्रार्थी ने उक्त अनवान प्रकरण का राजस्व मूल वाद बंटवाड़ा, स्थायी निषेधाज्ञा दस्तावेजी तथ्यों के आधार पर पेश किया है। पैरा संख्या 2 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा बगड़ी नगर तहसील सोजत में आई हुई है, पैरा संख्या 3 व 4 में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थीगण स्वयं सबूत प्रस्तुत कर सिद्ध करना तथा पैरा संख्या 5 व 6 कानूनी होना अंकित किया। अप्रार्थी संख्या 2 को बावजूद सूचना बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 23.3.2022 तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 15 के विरूद्ध दिनांक 29.05.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने पर उतारू है जिन्है रोका जाना आवश्यक होने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने की ईश्दुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 संयुक्त रूप से कृषि भूमि खरिद की है। दोनो का बराबर हिस्सा है। मौके पर बंटवाडा नही किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कभी भी झगडा नही किया है। प्रार्थीगण ने मात्र हैरान परेशान करने की नियम से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसे खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय जबाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन कर अधिवक्ता गण उभयपक्ष के अभिवचनो पर गौर कर मनन किया गया। मूल वाद विभाजन का है। वाद निर्णय तक वादस्थ भूमि की यथास्थिति बनाये रखने एवं विशिष्ट भू0भाग का बैचान नही करने से उभय पक्षों का रोका जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बगड़ी नगर पटवार हल्का बगड़ी चक 1 भू.अ.नि. बगड़ी नगर तहसील सोजत के ख0नं0 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2395, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 कुल खसरा 23 कुल रकबा 17.9700 हैक्टर किस्म गै.मु बेरा, गै.मु. सड़ा, चा.प्र,जा.अ., बंजड़, गै.मु. रास्ता, गै.मु. बाड़ा मे .की भूमि की वाद निर्णय तक मौके की यथास्थिति (**Status Que**) बनाये रखने एवं विशिष्ट भू0भाग0 का बैचान नही करने हेतु उभय पक्षो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 09/05/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत